Government of India
Ministry of Urban Development
Land & Development Office
Nirman Bhawan, New Delhi.

LDO No. F-24026/1/09-CDN/196 Dated. 12/6/09

OFFICE ORDER NO. 8/09

Sub:-Withdrawal of Re-entry after the Eviction order by the Estate Officer

In the cases where Estate Officer has passed an Eviction Order on account of misuse and certain breaches, violation of Lease conditions and unless the concerned party / parties opts for appeal against the eviction order of the Estate Officer in the Competent Court of Law or files a writ petition before the Hon`ble High Court, the Orders of the Estate Officer attain finality and such orders cannot be withdrawn. It has been decided to take necessary action to initiate proceedings for eviction of the occupants immediately after issue of the eviction orders. Any lapse on this part will make the concerned staff responsible for not submitting the cases to the Competent Authority.

Singh
(Surendra Singh)
Dy. Land & Development Officer.

To

1. All Officers
2. All Sections
3. Guard file
4. NIC for feeding on ldo site.

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
भूमि तथा विकास कार्यालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली ।

....

एलडीओ सं0 एफ-24026/1/09-समन्वय/ 196 दिनांक: 12 जून, 2009 ।

कार्यालय आदेश सं0 8 /09

विषय : सम्पदा अधिकारी द्वारा निष्कासन आदेश के पश्चात् पुनः प्रविष्टि का प्रत्याहार ।

......

उन मामलों में जहाँ सम्पदा अधिकारी ने उल्लंघन, पट्टा शर्तों के अतिकमण तथा दुरुपयोग के कारण निष्कासन ओदश जारी किया हो, और जब तक कि संबंधित पार्टी/पार्टियाँ सम्पदा अधिकारी के निष्कासन आदेश के खिलाफ सक्षम कानून कोर्ट में अपील नहीं करतीं या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष समादेश-याचिका दायर नहीं करतीं, सम्पदा अधिकारी के ओदश अंतिम माने जाएं और ऐसे आदेशों का प्रत्याहार नहीं किया जा सकता । निष्कासन आदेश जारी करने के तत्काल बाद दखलकारो के निष्कासन के लिए कार्यवाही आरम्भ करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया । इस हेतु की गई कोई भी गलती संबंधित स्टाफ की मानी जाएगी और सक्षम प्राधिकारी को मामला प्रस्तुत न करने के लिए उन्हें जिम्मेदार माना जाएगा ।

(सुरेन्द्र सिंह)
उप-भूमि तथा विकास अधिकारी (समन्वय)

सेवा में,

1) सभी अधिकारी ।
2) सभी अनुभाग ।
3) गार्ड फाइल ।
4) एन आई सी को एल डी ओ की वेब [redacted] पर डालने हेतु ।

उप-भूमि तथा विकास अधिकारी (समन्वय)